

19/9/24

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/10/23
को पेश हो।

21/10/24

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/12/23
को पेश हो।

10/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31/11/23
को पेश हो।

31/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सच ने
आज अदाजती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 28/3/25 को पेश हो।

28/3/25

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सच ने
आज अदाजती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 06/06/25 को पेश हो।

06/06/2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में प्राथमिक
डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ
जो अभिलेख पर लिया जाता है। विभाजन
प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी।
दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने तहसीलदार
नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर
सहमति देते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव
अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व
रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक
डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन
प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं बहस
वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया।
चूंकि वकुलाय उभयपक्ष तहसीलदार नीमकाथाना
से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत हैं। अतः

Noted

A/C

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की
तामील में जारी हुए

वाद वादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

डिक्री मुकदमा इबतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. मूलचन्द पुत्र छोटूराम वगैरह

—वादीगण

बनाम

1. हीरालाल पुत्र झूथा वगैरह


—प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 12 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी श्री विमल कुमार मोदी एडवोकेट मिनजानिब मुद्ई रूबरू श्री गिरधारी लाल बागड़ी, श्री शिम्भूदयाल मोदी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 06 सन् 2025 को जारी की गई।


दस्तखत.....
ओहदा.....

मुहर

मुद्ई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।